न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- अरुण कुमार जैन (RAS.)

वाद सं. 15/2023

1. नन्दराम कुमावत S/o प्यारा कुमावत निवासी- कारोई तहसील व जिला- भीलवाड़ा (मृतक)
1/1 केसी देवी पत्नि नन्दराम कुमावत
1/2 उदयलाल कुमावत पुत्र नन्दराम कुमावत
1/3 रतनलाल कुमावत पुत्र नन्दराम कुमावत
1/4 श्यामू कुमावत पत्नि नन्दराम कुमावत
1/5 कैलाश देवी पत्नि भैरु लाल कुमावत
1/6 उदयलाल कुमावत पुत्र नन्दराम कुमावत

निवासीयान ग्राम कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा — वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील व जिला भीलवाड़ा
प्रतिवादी

उपस्थित-अधिवक्ता
वादी:- कन्हैयालाल तेली
प्रतिवादी:- पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

निर्णय

दिनांक 28/11/24

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के निर्णय बाबत प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-188 अन्तर्गत न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा में वादी के कब्जेशुदा आराजी नं. 3302 रकबा .2320 है. स्थित है। वादग्रस्त भूमि के मालिक आराजी नं. 3375 ठिकाना पुष्करशत के नाम सम्वत् 1992 में दर्ज रेकॉर्ड थी। खसरा नं. 3302 में 5 बीघा कृषि भूमि वादी के पिता स्व. प्यारा पिता दौला कुमावत के पक्ष में पट्टा संख्या 113 सम्वत् 2003 में महाराज श्री करण सिंह ठाकुर साहब द्वारा 10 रुपये में जारी किया गया था। दौराने भू-प्रबंध बंदोबस्त वादग्रस्त भूमि वादी के पक्ष में इन्द्राज नहीं की गई। प्रतिवादी तहसीलदार-भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 20/5/18 को अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्थान कॉलोनाईजेशन अधिनियम 1954 की धारा-22 में वादी को बेदखली हेतु नोटिस जारी किये गये। इसके उपरान्त अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों से दिनांक 10/2/2023 को बेदखली हेतु धमकी दी गई। इस प्रकार लगभग 76 वर्षों से आधिपत्यशुदा एवं पट्टाशुदा होकर विधिक स्वामित्व होने से ग्राम- कारोई की आराजी नं.

—लगातार -

सहायक कलक्टर (1)
भीलवाड़ा

नानूराम v/s सरकार
15/2023

दि.दि. 28/11/24

3302 रकबा 0.2320 हे. में से 5 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को उक्त 5 बीघा भूमि में वादी द्वारा शान्तिपूर्वक उपभोग-उपयोग में दस्तंदाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 23/10/2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। वादी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18/11/24 को प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80(2) के आवश्यक प्रावधानों की [illegible] नहीं की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार के [illegible] अनुतोष चाहा गया है तथा वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता [illegible] की धारा 80(2) के अन्तर्गत आवश्यक 2 माह का नोटिस [illegible] भेजा गया है, साथ ही वादी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान कॉलोनाईजेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में दिनाँक 25/5/18 को नोटिस देने के उपरान्त दिनांक 10/2/2023 को वादकारण उत्पन्न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं की है, प्रकरण में वादी को राजकीय कार्मिकों द्वारा कौनसा नोटिस दिनांक 10/2/2023 को दिया गया, की प्रति पेश नहीं की है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सम्वत 2003 में वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी होने के उपरान्त वाद लगभग 76 वर्ष पश्चात पेश किया गया है जबकि वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—लगातार—

(2)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नन्दराम V/s सरकार
15/2023

नि. दि. 28/11/24

1955 के प्रभावशील होने के उपरान्त भू-प्रबन्ध संक्रियाएं सम्पादित होने के पश्चात् अपनी उज्रदारी पेश करनी चाहिये थी। परन्तु वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई उज्रदारी पेश की गई हो, इसका साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संलग्न फोटोग्राफ से भी यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जा रही है, बल्कि व्यावसायिक गतिविधि करने के लिये राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2045 में वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा-काश्त होने का अंकन नहीं है। इस प्रकार वादी स्वयं का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर 76 वर्षों से निर्बाध होने को साबित करने में सक्षम नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80(2) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण काबिले खारिज है, [illegible] प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस करते हुये प्रार्थना पत्र के जवाब दिनाँक 18/11/24 के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की पूर्णतः पालना की है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10/2/2023 को वादी को बेदखल करने की धमकी दी गई थी। जिसके कारण वाद तत्काल पेश करना आवश्यक था। इस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80(2) के अन्तर्गत 2 माह का विधिक

— लगातार —

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नन्दराम V/s सरकार
15/2023

नि.दि. 28/11/24

नोटिस नहीं दिया जाकर नोटिस देने से आवश्यक छूट हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा उठाई गई अन्य समस्त आपत्तियों दौराने साक्ष्य सिद्ध की जायेगी। इस हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजात बवक्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादी को वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के शान्तिपूर्वक रूप से उपयोग-उपभोग में बाधा नहीं डाले।

प्रतिवादी/प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया गया कि वादी/अप्रार्थी द्वारा वाद पत्र के साथ ना तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और ना ही वाद पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस प्रेषित किया गया है। साथ ही वादी द्वारा वाद पत्र के साथ स्वयं के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काश्त होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजात पेश किये गये हैं। अतः अप्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जावे।

प्रतिवादी/प्रार्थी की बहस पूर्ण होने के उपरान्त वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिये जाने की छूट से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र भूलवश न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से रह गया। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी/प्रतिवादी पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18/11/24 एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सम्बन्धित विधि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 तथा आदेश 7 नियम 11 का अनुशीलन किया गया। ~~[illegible]~~ उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस के मनन एवं चिंतन तथा पत्रावली के अवलोकन एवं सम्बन्धित विधि के अनुशीलन उपरान्त प्रथम

—लगातार—

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नन्दराम v/s सरकार
15/2023

नि.दि. 28/11/24

दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा वादी द्वारा वादपत्र के साथ वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का विगत 70 वर्षों से निर्विवादित कब्जा काश्त होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये हैं। अतः वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80(2) के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

28/11/2024

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नन्दराम कुमावत पिता प्यारा कुमावत उम्र 72 वर्ष निवासी कारोई, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राज0 काश्त अधिनियम सपठित धारा 151 जा0 दी0

प्रकरण संख्या 15/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल तेली उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 28.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.11.2024 एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सम्बन्धित विधि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 तथा आदेश 7 नियम 11 का अनुशीलन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस के मनन एवं चिंतन तथा पत्रावली के अवलोकन एवं सम्बन्धित विधि के अनुशीलन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा वादी द्वारा वादपत्र के साथ वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का विगत 76 वर्षो से निर्विवादित कब्जा काश्त होने सम्बंधी कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये है। अतः वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 (2) के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

28/11/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाडा